3) सचिवालय :-

राष्ट्र संघ का तीसरा अंग सचिवालय है। सचिवालय का प्रधान "महासचिव" कहलाता था। इसकी नियुक्ति साधारण सभा की अनुमति से परिषद् द्वारा की जाती थी। सचिवालय सभा और परिषद के ही प्रशासकीय कार्यों को करता था।

यह साधारण सभा और परिषद् के लिए चिन्तनीय मुद्दों की सूचना बनाना, बैठकों की व्यवस्था करना, अनेक प्रशासनात्मक कार्य करना, संधियों का रिकॉर्ड रखना आदि इसके प्रमुख कार्य थे।

4) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय :-

इस न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थापित हुआ। न्यायालय के सदस्यों की संख्या प्रारम्भ में 11 निर्धारित की गई थी किंतु बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। न्यायाधीशों का निर्वाचन परिषद् के बहुमत द्वारा होता था। और साधारण सभा के बहुमत द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती थी। इनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए होता था।

* प्रमुख कार्य :-
  - राष्ट्रों के बीच के विवादों को सुलझाना।
  - नियमों का स्पष्टीकरण करना
  - कानूनी मामलों में साधारण सभा और परिषद को परामर्श देना।

5) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन :-

श्रमिकों की मांगों के फलस्वरूप जन्म लेने वाले इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा मजदूरों की दशा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। यह संघ मजदूरों के हितों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने हेतु बनाया गया था।